संख्या-79 /2023/475ई/23-11-2023/011-1-2-74-2018टीसी

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेल उपरिगामी सेतु योजना के कार्य पर आवंटित धनराशि के सापेक्ष लैप्स धनराशि का पुन: आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2995/सामान्य-सेतु-31/2022-23, दिनांक 14-12-2022 एवं पत्र संख्या- 201/सामान्य-सेतु-31/2022-23, दिनांक 18-12-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल उपरिगामी सेतु योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 02 कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त की गयी धनराशि के कोषागार से आहरित न हो पाने के कारण लैप्स हुई कुल धनराशि रू0 882.15 लाख (रूपये आठ करोड़ बयासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन पुन: अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	शा0सं0 व दिनांक	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि			2021-22 में लैप्स धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुन: आवंटित धनराशि		
					अनु0-57	अनु0-83	योग		अनु0-57	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	ललितपुर	जनपद ललितपुर में उत्तर मध्य रेलवे के बीना-झांसी सेक्शन के अन्तर्गत ललितपुर-देवगढ मार्ग पर सम्पार संख्या-339 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	3809.78	63/2022/190ई/ 23-11-2022-1/2(74)/ 2018 टीसी-1, दिनांक 29-03-2022	342.06	92.08	434.14	434.14	342.06	92.08	434.14
2	आगरा	जनपद आगरा में सदर तहसील से ईदगाह रेलवे स्टेशन के निकट ईदगाह बयाना रेल सेक्शन के ऊपर से होते हुए अर्जुन नगर की तरफ बने एलीवेटेड रेल सेक्शन (नई दिल्ली-आगरा कैण्ट) के पास तक रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण ।	4926.97		352.99	95.02	448.01	448.01	352.99	95.02	448.01
				योग	695.05	187.10	882.15	882.15	695.05	187.10	882.15

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) भविश्य में चालू कार्यो पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाय और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(3) प्रदेश के कोषागारों में लागू चेक प्रणाली से भुगतान की पद्धति के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-1638/दस-99-10(28)/72, दिनांक 25.06.1999 एवं शासनादेश सं0-ए-1-1063/दस-87-10(28)/72, दिनांक 17.06.1989 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विशयक मूल/पुनरीक्षित शासनादेशो की शर्तो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-06-2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04-11-2022 में निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रूपये 6,95,05,000(रूपये छ: करोड पनचान्बे लाख पांच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखाशीर्षक 5054041010516 रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रूपये 1,87,10,000(रूपये एक करोड सत्तासी लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891500 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(राज कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-79/2023/475ई(1)/23-11-2023/011-1-2-74-2018टीसी, **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in